10

संख्या– /वि0अनु0–5/मनो0कर /2003

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–5 देहरादून::दिनांक 01 अक्टूबर, 2003

विषयः– हिन्दी फीचर फिल्म "कोई मिल गया" को मनोरंजन कर से मुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आमोद और पणकर अधिनियम– 1979 की धारा–11 (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा यह आदेश देते हैं कि फिल्म "कोई मिल गया " के प्रदर्शन इस आदेश की तिथि से 06 माह तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन '50 प्रतिशत मनोरंजन कर "से मुक्त होंगे :–

(1)– उपर्युक्त फिल्म के एक समय में अधिकतम तीन प्रिन्ट पूरे प्रदेश में चलाये जायेंगे, तथा एक जनपद में एक समय में केवल एक ही प्रिन्ट प्रदर्शित किया जायेगा।

(2)– सिनेमा स्वामी द्वारा विभिन्न श्रेणियों में प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क की दरों में कोई बृद्धि नहीं की जायेगी, और न ही उसमें आसन क्षमता में परिवर्तन किया जायेगा।

(3)– इस फिल्म के साथ कोई अन्य फिल्म नहीं दिखायी जायेगी, सिवाय एप्रूव्ड (Approved) फिल्म के, जैसा कि सिनेमाटोग्राफ रूल्स, 1951 के परिशिष्ठ–1 के सिनेमा लाइसेंस प्रतिबन्ध संख्या (2) में उल्लिखित है, लेकिन नये आने वाली फिल्मों के ट्रेलर तथा विज्ञापन आर्टस दिखाये जाने की अनुमति होगी।

2– विषयगत संदर्भ में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे सिनेमा का स्वामी, जिसमें फिल्म का कर से मुक्त प्रदर्शन किया जाए, आमोद और पण कर नियमावली–1981 में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार लिखित रूप से प्रत्येक प्रदर्शन के लिए निर्धारित समय में नियमित रूप से तैयार करेगा, और इस सम्बन्ध में उपर्युक्त नियमावली के समस्त सम्बन्धित नियम उसी प्रकार से लागू होंगे, जिस प्रकार सामान्य फिल्मों के प्रदर्शनों में लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त कर मुक्त फिल्म के लिए जारी किये जाने वाले टिकट पर यथास्थिति शब्द " 50 प्रतिशत कर मुक्त " मुद्रित होंगे, अथवा रबर की मुहर से अंकित किये जायेंगे, तथा टिकटों के सम्बन्ध में उपर्युक्त नियमावली के समस्त सम्बन्धित नियम लागू होंगे।

3– प्रश्नगत मामले में उपर्युक्त शर्तों तथा मनोरंजन कर से छूट के सम्बन्ध में प्रभावी नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर कर मुक्ति की यह सुविधा समाप्त कर दी जायेगी, और उल्लंघन के लिए सम्बन्धित सिनेमागृहों के करमुक्त प्रदर्शनों पर नियमानुसार मनोरंजन कर लगाया तथा वसूल किया जाएगा।

4– निर्माता द्वारा फिल्म प्रदर्शन की सम्पूर्ण सूचना आयुक्त, कर, उत्तरांचल को अग्रिम रूप से प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

5– प्रश्नगत फिल्म को मनोरंजन कर से छूट दिये जाने के फलस्वरूप शासन को होने वाली राजस्व हानि की सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी आयुक्त, कर, उत्तरांचल, देहरादून को यथा समय देना सुनिश्चित करेंगे, साथ ही इस शासनादेश की प्राप्ति भी स्वीकार की जायेगी।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव।

संख्या–165(1)/वि0अनु0–5/मनो0कर /2003, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1– आयुक्त, कर उत्तरांचल, देहरादून।

2– श्री राकेश रोशन, निर्माता–निर्देशक, फिल्म "कोई मिल गया" फिल्मक्राफ्ट प्रोडक्शन(इण्डिया) प्रा0लि0 मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स, " मयूर" तिलक रोड, सान्ताकुज (पश्चिम) मुम्बई– 400054

आज्ञा से,

(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव